युवाओं को मिलेगा रोजगार के लिए प्रशिक्षण

लखनऊ। वर्ष 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र की ओर से बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए साड़ियों की कढ़ाई-छपाई ट्रेड में चार माह का सामूहिक प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। लाभार्थी को पांच हजार रुपये मानदेय मिलेगा।

उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र के मुताबिक, अन्य पिछड़ा वर्ग के ही व्यक्ति पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 45 होगी। योग्यता-प्रशिक्षण के लिए आठवीं पास होना अनिवार्य है। चयन साक्षात्कार से होगा। महिलाओं को न्यूनतम 30 और दिव्यांगों को चार प्रतिशत का आरक्षण भी मिलेगा। इसके तहत विभागीय वेबसाइट msme.up.gov.in और diupmsme.upsdc.gov.in पर इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 15 अगस्त नियत है। (संवाद)